



Neutral Citation No.-2026:AHC:6878

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-17704 वर्ष 2025

सुनील उर्फ कालू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंशु सिंह, हेमेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री आदित्य प्रसाद मिश्रा, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-50 वर्ष 2023, भ०द०वि० की धारा 302, 201 भ०द०वि०, थाना-हाफिजपुर, जिला: हापुड़ के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगभग चौबीस दिनों की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह कहा गया है कि आवेदक अपने भाई की अनुपस्थिति से परेशान था, इस प्रकार, वह अपनी मां के साथ उसे बरामद करने के लिए थाना जाता था और उक्त अधिनियम से परेशान होकर, आवेदक पर झूठी बरामदगी थोपी गई है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि मृतक निर्विवाद था और अभिलेखों पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि मृतक के नाम पर पैसा आवेदक या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा ले लिया गया है क्योंकि लेखपाल और प्रबंधक के बयान दर्ज किए गए हैं। शव

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की बरामदगी के समय पचास से अधिक लोग बरामद होने के स्थान पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी को भी स्वतंत्र गवाह के रूप में नहीं लिया गया है। जबकि जांच रिपोर्ट में पांच पंच गवाहों का उल्लेख है, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। उक्त बरामद स्थान सभी के लिए खुला और सुलभ है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार है। अ०सा०-1, अ०सा०-2 और अ०सा०-3 ने अदालत में अपनी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। आवेदक 26.3.2023 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि यह एक खुला और बंद मामला है, क्योंकि आवेदक के सामने शव बरामद किया गया है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के सामने शव बरामद कर लिया गया है और दिनांक 3.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, छह गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 12, 2026

शालिनी



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!